

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठाधीन अधिकारी का नाम सुधी इंदरा कोचर (आर००१०११०)
वाद सं० : 375 सन 2020
अनवांन :-

1 संजय कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

- 1 ख्यालीराम पुत्र भूलाराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर।
- 2 मनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
- 3 धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
- 4 बनवारीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
- 5 सुखीया पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
- 6 अजीक नाबालिग पुत्री धर्मपाल जरिये संरक्षिका माता कमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7 सुनिता नाबालिग पुत्री धर्मपाल जरिये संरक्षिका माता कमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8 प्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
- 9 मुकेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
- 10 तीजा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
- 11 रामेती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
- 12 रामनिवास पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
- 13 उर्मिला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
- 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 99/101 की कुल 14.2780 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990 हैक्ट में से 1770/16099 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 223/213 के खसरा न० 72/1 की 5.0140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी के पिता / दादा / चाचा / बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र / पुत्री एवं पुत्र की पुत्रीया एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11, 13 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र मनीराम व बनवारी की पुत्रया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 10, 11, 13 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल उपखण्ड अधिकारी रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 बहिय के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मूलाराम पुत्र चेतनराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 10, 11, 13 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 99/101 की कुल 14.2780 हैक प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990 हैक में से 1770/16099 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 223/213 के खसरा न0 72/1 की 5.0140 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी के पिता/दादा/चाचा/ बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री एवं पुत्र की पुत्रीया एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11, 13 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र मनीराम व बनवारी की पुत्रया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 10, 11, 13 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण


उपरोक्त अधिकारी फरमावे।
नोहर

हमने उभयपक्षों की सहस्र सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 99/101 की कुल 14.2780 हैव प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 230/223 की कुल 16.0990 हैव में से 1770/16099 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 223/213 के खसरा नं० 72/1 की 5.0140 हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015, मिलान क्षेत्रफल भु० प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि मूलाराम पुत्र चेतनराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मूलाराम पुत्र चेतनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा प्रतिवादी संख्या 2, 4 वादी के चाचा एवं प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी के पिता है ने अन्य चकों में भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7, 10 ता 11, 13 जो वादी की बहने/बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 10, 11, 13 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 के पक्ष में किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 10, 11, 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 99/101 के खसरा नं० 325/5 की 4.5400 हैव व खसरा नं० 330/2 की 9.7380 हैव कुल 14.2780 हैव में से 330/2 की 5.986 हैव भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 12 बहिब एवं 3.752 हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 8, 9 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खसरा नं० 325/5 की 4.5400 हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमिलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. संजय कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
3. धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
4. बनवारीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
5. सुखीया पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर
6. अंजीका नाबालिग पुत्री धर्मपाल जरिये संरक्षिका माता कमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सुनिता नाबालिग पुत्री धर्मपाल जरिये संरक्षिका माता कमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. प्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
9. मुकेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
10. तीजा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
11. रामेती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
12. रामनिवास पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
13. उर्मिला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 375 सन 2020 निर्णय दिनांक-09/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 99/101 के खसरा न0 325/5 की 4.5400हैक् व खसरा न0 330/2 की 9.7380हैक् कुल 14.2780हैक् मे से 330/2 की 5.986हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 12 बहिब एवं 3.752हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खसरा न0 325/5 की 4.5400हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)